

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 69/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अर्जुनराम पुत्र श्री खेताराम		1. मंगलाराम पुत्र श्री खेताराम
2. पेमाराम पुत्र श्री खेताराम		2. रामरख पुत्र श्री हरिकिशन
3. पपली पुत्री श्री भगवानराम		3. ओमप्रकाश पुत्र हरिकिशन
4. गौकलराम पुत्र श्री खेताराम		4. श्रीगोपाल पुत्र श्री हरिकिशन
जातियान विश्नोई, निवासी		5. मुसम्मात भीरा पत्नी श्री
रामनगर, (कापरड़ा) तहसील		हरिकिशन
बिलाड़ा जिला जोधपुर		6. गौरधनराम पुत्र श्री खेताराम सभी
		जातियान विश्नोई निवासीगण
		रामनगर (कापरड़ा) तहसील
		बिलाड़ा, जिला जोधपुर
		7. सरकार जरिये तहसीलदार
		बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट एवं

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक :- 11.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। वादीगण अनुपस्थित। वादीगण अधिवक्ता श्री बी.आर. विश्नोई इस मामले में नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करते हैं। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा